राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बदायूँ : एक परिचय

बदायूँ जनपद में उच्च शिक्षा की चिर प्रतीक्षित आवश्यकता की पूर्ति हेतु उ0 प्र0 सरकार द्वारा सत्र 2004–2005 में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया जिसमें स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र व इतिहास विषय, विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषय तथा वाणिज्य संकाय को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तद्न्तर महामहिम श्री राज्यपाल, कुलाधिपति महोदय द्वारा भी इन संकायों में उपर्युक्त विषयों हेतु सत्र 2004–2005 में ही सम्बद्धता सम्बंधी आदेश प्रदान कर दिये गये थे। जून 2004 मे स्थानीय इस्लामिया इंटर कालेज, बदायूँ में महाविद्यालय का आरम्भ हुआ। तत्कालीन शिक्षा सचिव (उच्च शिक्षा) ने बदायूँ आगमन पर इसे अगस्त 2006 में राजकीय पालिटेक्निक बदायूँ में स्थानान्तरित कर दिया।

3 अक्टूबर, 2009 से महाविद्यालय का संचालन निजी भवन में हो रहा है। आवास विकास कालोनी मे स्थिति महाविद्यालय का तीन मंजिला भवन 10,661.49 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित है। सत्र 2016–17 में महाविद्यालय की छात्र संख्या 2011 थी। 2016–17 में परास्नातक विषय में वाणिज्य एवं कला संकाय में इतिहास, उर्दू, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अंग्रेजी विषयों में कुल 166 छात्र/छात्राओं ने प्रवेश लिया।

महाविद्यालय के लक्ष्य एवं उददे्श्य

1. समस्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु समान सुविधाएं देना।
2. विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास करना।
3. विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना।
4. विद्यार्थियों को उत्कृष्ट नागरिक के रूप में विकसित करना।
5. अनेकता में एकता की समग्र भावना का विकास करना।
6. भारतीय संविधान के प्रति संवेदन शीलता एवं देश प्रेम की भावना विकसितकरना।
7. राष्ट्र एवं समाज सेवा का भाव उत्पन्न करना।

8. विद्यार्थियों का उत्कृष्ट कोटि का मानसिक विकास एवं उन्हें व्यवहार कुशल अनुशासित सौम्य, मृदुभाषी बनाना।
9. विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास कर उन्हे आत्म निर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने का सम्पूर्ण प्रयास करना।

शिक्षणेत्तर एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ–

विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास के लिए पठन–पाठन के साथ साथ निम्न लिखित पाठ्यक्रम सहगामी योजनायें भी महाविद्यालय में संचालित की जाती हैः–

1. **एन0 सी0 सी0:**

   महाविद्यालय मे एन0 सी0 सी0 छात्रा यूनिट प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। आत्मसंयम, अनुशासन, राष्ट्रीयता तथा कर्तव्यपराणयता की भावना का विकास छात्राओं में एन0 सी0 सी0 के माध्यम से किया जाता है।

2. **एन0 एस0 एस0** :

   छात्र/छात्राओं में 'श्रम भावना' को अजागर करने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जगाने के लक्ष्य को लेकर भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाईयाँ शासन/विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत हैं। स्नातक कक्षाओं में अध्ययन 1845 छात्र/छात्राओं का पंजीकरण प्रत्येक सत्र में किया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2016–17 में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक की तीन इकाई जिसमें एक छात्रा एक छात्र इकाई तथा एक छात्र/छात्रा संयुक्त इकाई श्रमदान करते हुए महाविद्यालय परिसर का सौन्दर्यकरण, मलिन बस्तियों में स्वच्छता अभियान, श्रमदान, साक्षरता, अल्प बचत, मद्यनिषेध, वृक्षारोपण, एड्स उन्मूलन, मतदाता जनजागरण एवं पल्स पोलियों अभियान के साथ–साथ सात दिवसीय विशेष शिविर (रात दिन) में भी भाग लेना होगा। प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ित क्षेत्रों के लिए राहत कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार कुल 300 छात्र/छात्राऐं, स्वयं सेवक/सेविकाएं पंजीकृत हुए। एन0 एस0 एस0 में छात्र/छात्रा अपना पंजीकरण सत्र प्रारम्भ होने पर करा सकते हैं।

3. **रोवर रेंजर क्रू दलः**

   उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार क्रू दल के रूप में रोवर–रेंजर दल के पंजीकरण की व्यवस्था भी महाविद्यालय मे की जाती है। सत्र के प्रारम्भ से ही स्नातक स्तर के छात्र छात्राओं में अनुशासन, स्वावलम्बन एवं जनसेवा की भावना विकसित करने के लिए यह सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर देता है।

4. **इको–रेस्टोरेशन क्लबः**

छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ईको–रेस्टोरेशन क्लब की स्थापना महाविद्यालय में की गई हैं। इस क्लब के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मोहल्ला/गाँव तथा आसपास में पर्यावरण एवं स्वच्छता के प्रति आम जनता को सजग करने हेतु विभिन्न गोष्ठियाँ आयोजित करें तथा अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाकर पर्यावरण की रक्षा करें एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलायें।

5. शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूदः

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए खेलकूद की सुविधा है। सीमित संसाधनों के रहते हुए भी महाविद्यालय में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खों–खों, बैडमिंटन, टेबिल टेनिस, एथलेटिक्स एवं विभिन्न खेलों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधा छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करायी जाती है। महाविद्यालय में गठित क्रीड़ा परिषद महाविद्यालय में क्रीड़ा गतिविधियों तथा प्रतियोगिताओं का संचालन करता है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु महावद्यिालय स्तर पर अनेक योजनायें चलाये जाने की दिशा में भी महाविद्यालय प्रशासन संकल्परत् है।

6. सांस्कृतिक परिषदः

छात्र/छात्राओं की नैसर्गिक प्रतिभा उजागर करने के लिए महाविद्यालय में विभागीय परिषदों के साथ–साथ सांस्कृतिक परिषद का भी गठन किया जाता है जो समय–समय पर शैक्षणिक सत्र में विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर लेखमाला, भाषण, निबन्ध, प्रश्नमंच, नाम लेखन, शोधपत्र पठन, चार्ट पोस्टर एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करके छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करती है। सत्र के मध्य में महाविद्यालय स्तर पर ''युवा महोत्सव'' का आयोजन भी किया जाता है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रकट करने के लिए समुचित अवसर एक मंच पर प्रदान किया जाता है। महाविद्याल की पत्रिका 'उन्मेष' का प्रकाशन भी किया जाता है।

नोट– शिक्षर्णेत्तर गतिविधियों/पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं/प्रयोगशाला अथवा क्रीड़ा में अकस्मात होने वाली दुर्घटनाओं मे हुई किसी भी शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक क्षति के लिए महाविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा। मात्र प्रारम्भिक चिकित्सा सुविधा महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जायेगी।

7. दूरस्थ शिक्षाः

महाविद्यालय मे सत्र 2017–18 से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र संचालित होंगे। इसके अन्तर्गत संस्थागत

रूप से प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को तथा संस्थागत विद्यार्थियों को अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम पूर्ण कर रोजगार पाने के अवसर सुलभ होंगे।

8. प्राक्टोरियल बोर्डः

महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकाएँ।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

प्रवेशार्थी प्रवेश लेने से पूर्व प्रवेश सम्बन्धी नियमों, विभिन्न निर्देशों एवं इस विवरणिका का गहन अध्ययन कर लें।

1. प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य उत्तर प्रदेश शासन एवं एम0 जे0 पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के प्रवेश नियमों, मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किय जायेगा तथा प्रवेशार्थी इन नियमों से बद्ध होंगे।
2. महाविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता (मेरिट) के अनुसार किया जायेगा।
3. संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध लागू होगा।
4. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तीन वर्ष से अधिक का अन्तराल अनूमन्य नही है। अन्तराल की स्थिति मे शपथ पत्र लगाना आवश्यक है। अन्तराल के प्रत्येक वर्ष के लिए मेरिट में कटौती विश्वविद्यालय के नियमानुसार की जायेगी।
5. स्नातक पाठ्यक्रम के किसी वर्ष मे व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भविष्य के वर्षो मे संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
6. संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में किसी भी स्ववित्तपोषित/अन्य महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा का काई खण्ड उत्तीर्ण करने के पश्चात् इस महाविद्यालय में अग्रिम वर्षो में प्रवेश सम्भव नहीं है।
7. महाविद्यालय में किसी प्रकार के कैजुअल प्रवेश की व्यवस्था नहीं है।
8. जिस विद्यार्थी ने एक शैक्षिक–सत्र में महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश ले लिया है और वह परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो या अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उसे पुनः महाविद्यालय में प्रवेश नही दिया जायेगा।
9. स्नातक पाठ्यक्रम में कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त दो वर्ष से अधिक का अन्तराल होने पर अगले वर्ष की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा व सम्पूर्ण स्नातक पाठ्यक्रम अधिकतम 6 वर्ष की अवधि मे पूर्ण करना होगा।
10. ऐसे प्रवेशार्थी जो अनुशासनहीनता में संलग्न रहे हों, जिनका आचरण असन्तोषजनक या संदिग्ध रहा हो, अनुचित साधनो का परीक्षा में प्रयोग करते पाये गये हों या जिनके विरूद्ध न्यायालय में दण्डनीय अभियोग चल रहा हो या जिन्हें

दण्डनीय अपराध मे सजा दी जा चुकी हो, को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई प्रवेशार्थी मिथ्या वर्णन, तथ्यों को छिपाकर या त्रुटिवश प्रवेश पा लेता है तो भविष्य में उसके प्रवेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है और उसे कोई शुल्क वापस नहीं दिया जायेगा।

11. प्रवेश समिति की संस्तुति के आधार पर समस्त प्रवेश स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य को होगा जो अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. अन्य सभी नियम एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा निर्धारित ही मान्य होंगे।
13. उत्तर प्रदेश शासन एवं एम0 जे0 पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के नियमानुसार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु **शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत कक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है।** अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जा कसता है और इसका सम्पूर्ण उत्तरादायित्व सम्बन्धित छात्र/छात्रा का होगा।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ

छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्ति हेतु इच्छुक छात्र/छात्रा अपना बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अभी से खोल लें तथा आधार कार्ड प्राप्त करके उसे बैंक से लिंक करवा लें। इसके अतिरिक्त आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र आदि भी पहले से ही बनवाकर तैयार रखें।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्ति हेतु बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है तथा प्रवेश के समय भी छात्र/छात्रा के पास आधार कार्ड होना चाहिए। जिसकी छायाप्रति संलग्न की जाये। यदि नहीं है तो ऐसी दशा में आधार कार्ड प्राप्ति हेतु आवदेन करें तथा आवेदन पत्र की छायाप्रति (जिसमें नामांकन/पंजीकरण संख्या दी हुई हो) प्रवेश फार्म के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

- सत्र 2017–18 अद्यतन व्यवस्था के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन किये जायेंगे। समय से आवेदन करना छात्र/छात्राओं का दायित्व होगा। छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति संबंधी जानकारियों हेतु उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट देखते रहें।
- शासन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति संबंधी किसी एक योजना का लाभ प्राप्त करने की ही व्यवस्था है।
- शासन द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति बेवसाइट अनिवार्य रूप से देखें।

आरक्षण एवं मेरिट नियमावली

(उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार)

उर्ध्वाधर आरक्षण

उ0 प्र0 की अनुसूचित जाति वर्ग– प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत
उ0 प्र0 की अनुसूचित जनजाति वर्ग– प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 02 प्रतिशत
उ0 प्र0 का अन्य पिछड़ा वर्ग– प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटो का 27 प्रतिशत

क्षैतिज आरक्षण

महिलाओं हेतु आरक्षण– सभी वर्गो मे छात्राओं को प्रत्येक पाठ्यक्रमवार समस्त प्रवेश सीटों का 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।

उ0 प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए– प्रत्येक पाठ्यक्रवार समस्त प्रवेश सीटों का 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए– प्रत्येक पाठ्यक्रवार समस्त प्रवेश सीटों का 01 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।

उ0 प्र0 के विकलांग अभ्यर्थी– प्रत्येक पाठ्यक्रवार समस्त प्रवेश सीटों का 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।

भारांक

प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के लिए अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगें। परन्तु किसी भी स्थिति में विद्यार्थी को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेगे।

(क) राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता मे भारीदारी। 10 अंक
(ख) विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व 05 अंक
(ग) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के सेवारत/सेवानिवृत कर्मयारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी 10 अंक
(घ) एन0सी0सी0 'सी' प्रमाण पत्र अथवा 'बी' प्रमाण पत्र + जी–2 प्रमण– 10 अंक एक
एन0सी0सी के 'बी' और 'जी प्रथम' प्रमाण–पत्र के लिए 05 अंक अधिकतम
(ड़) राष्ट्रीय सेवा योजना के 02 शिविर पूर्ण करने तथा 240 घटें की सेवायें 10 अंक
राष्ट्रीय सेवा योजना के 01 शिविर तथा 240 घटें की सेवायें 05 अंक अधिकतम

अथवा

12 वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 05 अंक

अथवा

प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत 10 अंक
भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत 10 अंक
रोवर्स रेन्जर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण 05 अंक

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता

बी0ए– इन्टरमीडिएट या समकक्ष मान्य परीक्षा कला, विज्ञान या वाणिज्य में उत्तीर्ण।

बी0 कॉम– इण्टरमीडिएट या समकक्ष मान्य परीक्षा कला, विज्ञान या वाणिज्य में उत्तीर्ण।

बी0एससी0– इण्टरमीडिएट या समकक्ष मान्य परीक्षा विज्ञान विषयों मे ही उत्तीर्ण।

पाठ्य विषय–उपलब्ध सीट

बी0ए0– कला संकाय (कुल सीट 400) स्नातक स्तर पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित।

अनिवार्य विषय– सामान्य अंग्रेजी, अथवा हिन्दी भाषा में से एक ही चयन करना है।

वैकल्पिक विषय– हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान व इतिहास इन विषयों में से किन्ही तीन का चयन करना होगा। तीन साहित्य एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं। हिन्दी, अंग्रेजी व उर्दू साहित्य में से दो ही लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार अभ्यर्थी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विषय मे अधिकतम दो विषयों का ही चयन कर सकता है।

<u>विज्ञान संकाय–</u>

वर्ग– 1(कुल सीट 80) – भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

वर्ग– 2(कुल सीट 80) – रयायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान।

– उपर्युक्त किसी भी वर्ग के तीनों विषय अनिवार्य हैं।

वाणिज्य संकाय (कुल सीट 160) – विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित सभी ग्रुप।

शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद – त्रिवर्षीय (स्नातक) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समस्त विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय।

पर्यावरण– त्रिवर्षीय (स्नातक) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समस्त विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय।

पी0 जी0 – कला संकाय में कुल सीट –60 प्रत्येक विषय में एवं वाणिज्य संकाय में कुल सीट–60

एम0 ए0 (अनिवार्य विषय)– अंग्रेंजी, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान व इतिहास।

एम0 कॉम0– विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित सभी ग्रुप।

नोटः

1. कला संकाय मे स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष में एक अनिवार्य विषय व तीन वैकल्पिक विषय अर्थात कुल चार विषयों का अध्ययन करना होगा। बी0 ए0 भाग–3 में प्रवेशार्थी को द्वितीय वर्ष के तीन वैकल्पिक विषयों में से किन्ही दो का चयन उक्त कक्षा की प्रवेश – समिति के निर्देशानुसार करना होगा।
2. जिस प्रवेशार्थी ने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी साहित्य का अध्ययन नहीं किया है उसे हिन्दी भाषा विषय लेना अनिवार्य होगा।
3. स्नातक स्तर पर वैकल्पिक विषय योग्यता सूची तथा रिक्ति के आधार पर आबंटित किये जायेगें।
4. प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन–पत्र में केवल विषय ही अंकित करना है न कि उनके प्रश्न पत्र।
5. पर्यावरण विषय का प्रश्न– पत्र अभ्यर्थी को स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव मे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि निर्गत नहीं की जायेगी।
6. शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विषय तीनों में अनिवार्य है।

साक्षात्कार व अनुशासन सम्बन्धी नियम

1. आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रत्येक कक्षा के लिए प्रवेश सम्बन्धी सूचनांए (जैसे साक्षात्कार का समय एवं स्थान, श्रेष्ठता सूची/प्रतीक्षा सूची आदि) यथा समय महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर ही लगायी जायेगी।
2. समय से सूचना प्राप्त करना प्रवेशार्थी का स्वयं का दायित्व होगा। इस सम्बन्ध में अन्य प्रकार से सूचना नहीं दी जायेगी।
3. साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी को स्वयं माता/पिता/अभिभावक (यदि माता–पिता जीवित न हों) के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड एवं सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अंकतालिकायें, टी0सी0, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र आदि प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
5. प्रवेश संस्तुत हो जाने पर तुरन्त शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त हो जायेगा।
6. एक बार शुल्क जमा होने पर किसी भी दशा में शुल्क वापसी सम्भव नही होगी।
7. प्रवेश के उपरान्त छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय के अनुशासन का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

8. प्रत्येक सत्र के लिए नया परिचय पत्र बनवाकर महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने साथ रखना अनिवार्य हैं।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का प्रयोग पूर्णतया निषिद्ध है।
10. रैगिंग/ईव टीचिंग अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखे गए हैं। इनमे लिप्त पाये जाने छात्र/छात्राओं का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
11. महाविद्यालय में सिगरेट/पान/गुटखा/पान मसाला/नशीले पदार्थो का सेवन पूर्णतः वर्जित है।
12. महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।

आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश

1. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन करना होगा तथा निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। प्रवेश पत्र स्वच्छ लिपि में हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में भरा जाये।
2. एक कक्षा/विषय के लिए भरा गया आवेदन पत्र केवल उसी कक्षा/विषय के लिए मान्य होगा। किसी भी दशा में आवेदन पत्र स्थानान्तरित नही किया जा सकेगा।
3. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न कर निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(क) हाईस्कूल व इण्टर के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति जिस पर प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर हों।

(ख) सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति जिन पर प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर हों। इण्टरनेट की मार्कशीट मान्य नही होगी।

(ग) अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) की मूल प्रति तथा चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल–प्रति।

(घ) पूर्व परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को एक अतिरिक्त चरित्र प्रमाण–पत्र (किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य द्वारा प्रदत्त) प्रस्तुत करना होगा।

(ड) अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जनजाति/स्वतन्त्रता सेनानी/सुरक्षा सेवा के वार्ड/विकलांग/एन0एस0एस0/रोवर्स–रेन्जर्स/एन0सी0सी0/खेल आदि के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

(च) एस0आर0 पंजीकरण फार्म पूर्णतः भरा हुआ।

(छ) प्रवेशार्थी के पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो चस्पा किये जाएं। आवेदन पत्र में चस्पा किये गए फोटो के अतिरिक्त एक फोटो (3.5X4.5 सेमी0 साइज की) आवेदन पत्र के ऊपर स्टेपिल किया जाए।

(ज) माता/पिता अथवा अभिभावक का फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।

4. स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी जिन्होंने गत वर्ष की परीक्षा इसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

   (क) पिछली उत्तीर्ण परीक्षा के अंक–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति जिस पर प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर हों।

   (ख) जाति/आय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

नोट– (1) स्नातक भाग–1 अथवा महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थी ही एस0आर0 पत्र भरें। भाग–2 व 3 के महाविद्यालय के पुराने छात्र व प्रवेशार्थी को एस0 आर0 पंजीकरण फार्म नही भरना है।

(2) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले अन्य महाविद्यालय से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को एस0आर0 पत्र भरना अनिवार्य होगा।

(3) स्नातक भाग 1/2/3 के समस्त प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति स्वप्रमाणित करके संलग्न करें। यदि आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके लिये पुरन्त आवेदन करें और आवेदन की स्वप्रमाणित छाया प्रति जिस पर नामांकन संख्या/पंजीकरण संख्या दी हुई है। प्रवेश आवेदन फार्म के साथ संलग्न करें।

महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र/छात्राओं हेतु ड्रेस कोड

महाविद्यालय में ड्रेस कोड (यूनिफार्म) लागू है। अतः महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात ड्रेसिंग कोड में आना अनिवार्य होगा। सत्र 2017–18 से उ0प्र0 के समस्त राजकीय महाविद्यालय में समान ड्रेस कोड लागू करना प्रस्तावित है। वर्तमान में महाविद्यालय का ड्रेस कोड निम्नवत् हैः

छात्रों का ड्रेस कोडः

1. पैन्ट का कलर :नीला
2. शर्ट का कलर : सफेद (बैज सहित)

3. कोट/स्वेटर का कलर :ब्लू, V साइज का गला
4. मफलर का कलर : काला
5. जूते का कलर :काला

छात्राओं का ड्रेस कोडः

1. शलवार का कलर :नीला
2. कुर्ता का कलर :सफेद
3. स्वेटर का कलर :ब्लू
4. कोट का कलर :ब्लू
5. दुपट्टे का कलर :नीला
6. मफलर का कलर :नीला
7. जूते का कलर :काला

महाविद्यालय में संचालित विषय में स्वीकृत पद एवं कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी

प्राचार्य **डॉ0 परवेज शमीम**

कला संकाय–

(1) अंग्रेजी विभाग– 02 पद रिक्त
(2) हिन्दी विभाग– डॉ0 अंशु सत्यार्थी
01 पद रिक्त
(3) उर्दू विभाग– 02 पद रिक्त
(4) समाजशास्त्र विभाग प्रो0 बबिता यादव
03 पद रिक्त
(5) अर्थशास्त्र विभाग 02 पद रिक्त
(6) राजनीति विज्ञान डॉ0 राकेश कुमार जायसवाल
03 पद रिक्त
(7) इतिहास विभाग डॉ0 अनिल कुमार

03 पद रिक्त

(8) शारीरिक शिक्षा विभाग — डॉ0 परवेज शमीम

(ब) विज्ञान संकाय–

(1) वनस्पति विज्ञान विभाग — 02 पद रिक्त

(2) जन्तु विज्ञान विभाग — डॉ0 बरखा

01 पद रिक्त

(3) भौतिक विज्ञान विभाग — डॉ0 श्रद्धा गुप्ता

डॉ0 संजीव राठौर

(4) रसायन विभाग — डॉ0 सारिका शर्मा

01 पद रिक्त

(5) गणित विभाग — डॉ0 नीरज कुमार

01 पद रिक्त

(स) वाणिज्य संकाय– — डॉ0 पी0 के0 शर्मा

04 पद रिक्त

पुस्तकालय–

(1) श्रीमती शशी प्रभा — प्रवक्ता पुस्तकालय

(द) कार्यालय स्टाफ–

(1) श्री विजेन्द्र सिंह — सहायक लिपिक

(2) श्री संजीव कुमार — प्रयोगशाला सहायक

(3) श्री वीर बहादुर — परिचारक

(4) श्री राजीव कुमार पाली — चौकीदार

(5) श्री राजा आर0 लाल — स्वच्छकार

(6) श्री कदीर अहमद — प्रयोगशाला परिचारक